उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः 856/VII–3–24/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः–680/VII–3–20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18 जून, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित 2020 एवं 2021) निर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में नीति अंतर्गत उपादान देयता संबंधित व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–597 दिनांक 09 अप्रैल, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के क्रियान्यन आदेश–2015 (यथासंशोधित 2020 एवं 2021) में संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं योजना शीर्षक के अंतर्गत स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
विद्यमान प्राविधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान	
संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं योजना		संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं योजना	
क्रमांक –5	ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (संशोधित नीति–2011) के तहत पहले से पंजीकृत हैं और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत कर दिया हो, को विशेष एकीकृत नीति के तहत ही अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा, **किन्तु ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 लागू होने के दिनांक 31.01.2015 के पश्चात् नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं और उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है,** www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत अपने उद्यम को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। एकल खिड़की निकासी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के	क्रमांक –5	योजनान्तर्गत एकल खिड़की पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) के लिये आवेदन की तिथि अथवा ई0एम0 पार्ट–1 दाखिल करने की तिथि अथवा पूर्व पंजीकरण की तिथि, जो भी पहले हो, को ही वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए **पूर्व पंजीकरण की तिथि** माना जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत उपादान की अनुमन्यता हेतु उपरोक्तानुसार पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा। पूर्व पंजीकरण से पहले प्रभावी कदम उठाने पर, नीति में वर्णित 'निवेश प्रोत्साहन सहायता' एवं 'ब्याज उपादान' के अतिरिक्त अन्य उपादान हेतु इकाई अपात्र होगी। निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिये इकाई के पूर्व पंजीकरण की तिथि से वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि तक के बीजक को ही आंगणन में लिया जायेगा। इस संशोधन के जारी होने के

	लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर दाखिल ऑनलाइन आवेदन पर जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय द्वारा जिला प्राधिकृत समिति/राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति ही एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पूर्व–पंजीकरण माना जायेगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) तथा विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पंजीकरण हेतु मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया/ दिशा–निर्देश www.investuttarakhand.com पर उपलब्ध है।		उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–597/VII-3-21/146-MSME/2013,दिनांक 09 अप्रैल, 2021 स्वतः ही अतिक्रमित समझा जायेगा एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–680/VII-3-20/146-MSME/ 2013,दिनांक 18 जून, 2020 उक्त सीमा तक एम0एम0एम0ई0 नीति–2015 की सम्पूर्ण लागू अवधि (दिनांक 31 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई 2023 तक) हेतु संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार संशोधन के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित) तथा क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित) अंतर्गत अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगे। उक्त नीति अंतर्गत पूर्व पंजीकरण की तिथि से पहले प्रभावी कदम उठाने के कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली इकाईयों को इस संशोधन के परिणाम स्वरूप देय 'निवेश प्रोत्साहन सहायता' एवं 'ब्याज उपादान' के दावे जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करने हेतु इस संशोधन के जारी होने की तिथि से 02 माह का समय दिया जायेगा।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्याः 856 ( )/ VII–3–24/146–एम0एस0एम0ई0/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त विभाग (व्यय एवं नियंत्रण अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

28/08/24

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।